



-प्रेस नोट-

दिनांक- 26.09.2026

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 नकबजन अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये 01 अंगूठी, 01 गले की चैन (सफेद धातू) व 10,000/- रुपये बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 25.09.2026 को वादी श्री वहीद पुत्र सुभराती निवासी मौ0 कोठीवाला कस्बा सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा घर के अन्दर के ताले तोड़कर घर की अलमारी में रखे 15000/- रु0 व चाँदी की एक अंगूठी व गले का लोकेट चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 342/26 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी चिलकाना श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दो चोर 1. अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौहल्ला कोठीवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर व 2. मौहम्मद समीर पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर को सुल्तानपुर की तरफ बन्द पड़े भट्टे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अब्दुल समद के कब्जे से एक अंगूठी सफेद धातू व 5000 रुपये व अभियुक्त मौहम्मद समीर से 01 चैन गले की सफेद धातू व 5000 रुपये बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अब्दुल समद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी मौहल्ला कोठीवाला थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. मौहम्मद समीर पुत्र शमशाद निवासी मौहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

बरामदगी -

- 01 अंगूठी, सफेद धातू व 5000/- रुपये (अभियुक्त अब्दुल समद से बरामद)
- 01 गले की चैन सफेद धातू व 5000/- रुपये (अभियुक्त मौ0 समीर से बरामद)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
3. है0का0 880 अंकित कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
4. का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
5. का0 626 निक्कू सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 26.09.2026

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस की अवैध खनन के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही
थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बिना रॉयल्टी/ ओवरलोड अवैध खनन परिवहन करने वाले 03
वाहन डम्फरो को किया गया सीज

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में राजस्व टीम के साथ थाना चिलकाना पुलिस द्वारा अवैध खनन सामग्री के परिवहन की रोकथाम हेतु संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में दिनांक 25.09.2026 को चेकिंग के दौरान दुमझोडा मार्ग से 03 वाहनों को बिना रायल्टी व ओवरलोड खनन सामग्री का अवैध रूप से परिवहन करते पाये जाने के कारण मय अवैध खनन सामग्री के सीज कर थाना परिसर में खड़ा कराया गया।

वाहन का विवरण

- 01 डम्पर नं० HR58E2105
- 01 डम्पर नं० HR58D0554
- 01 डम्पर -चैचिस नं०- MAT828113SAE08760

सीज करने वाली पुलिस टीम—

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर
2. उ०नि० श्री रोहताश कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
3. रि०का० 611 अमित कुमार थाना चिलकाना, जनपद सहारनपुर
4. रि०का० 622 संजीव कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर



दिनांक- 26.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए
01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी मोटरसाइकिल बरामद

सादर अवगत कराना है कि दिनांक 17/08/2026 को वादी श्री अमजद पुत्र लियाकत नि0 ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल रजि0नं0 UP11BK7796 (HF Delux) को चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 389/2026 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वाहन चोर/नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री इन्द्रेक्ष कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में मोटरसाइकिल चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 शातिर अभियुक्त प्रशान्त शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी मी0 कोटला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को ग्राम बुढढखेडा से लखनौती जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से अभियोग से सम्बन्धित मोटर साईकिल भी बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढौतरी की गयी। अभियुक्तगण के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

प्रशान्त शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा निवासी मी0 कोटला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

➤ 01 मोटरसाइकिल UP11BK7796 (HF Delux)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है0का0 449 लोकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. का0 967 सौरव कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



दिनांक- 26.09.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 गले की चैन (पीली धातु), अवैध असलाह/कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

घटना का विवरण:- दिनांक 20.09.2026 को वादी श्री जनार्दनदास अग्रवाल पुत्र श्री बाबूराम निवासी विष्णुधाम कालोनी न्यूमाधोनगर थाना कोतवाली नगर सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत 02 बाईक सवार अज्ञात लड़को द्वारा वादी की पत्नी की गले की चैन झपाटा मारकर छीनकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0 222/26 धारा 304(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्यवाही:- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल छिनैती की संज्ञान लेकर घटना में लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री राजीव कुमार सक्सेना के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.09.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये **वांछित अभियुक्त बिल्ला उर्फ सन्नी पुत्र राकेश निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर** को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 गले चैन (पीली धातु), 01 देशी तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर व घटना में प्रयुक्त स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11BY 5089 बरामद। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ विवरण- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि यह चैन नुमाईश कैम्प में एक बुढ़ी महिला से मैंने व मेरे साथी बिट्टू ने झप्पटा मारकर छीन ली थी जिसको हमने घर जाकर दो हिस्से में बाटं लिया था, आधा हिस्सा जो आपको मेरे पास से मिला है, जिसको मैं बेचने के लिए सहारनपुर आया था, आधी चैन जो उसके हिस्से में आ रही थी वो बिट्टू के पास ही है। यह मोटर साईकल भी बिट्टू की ही है दिनांक 24.09.2026 को पुलिस ने बिट्टू पकड़ कर जेल भेज दिया था। आज मैं चैन बेचने के लिए बाजार खुलने का इंतजार कर रहा था। बरामद तमंचे के बारे में बताया कि यह मैंने देहरादून में एक व्यक्ति से 5000 रुपये में खरीदा था जिसका नाम व पता मैं नहीं जानता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

बिल्ला उर्फ सन्नी पुत्र राकेश निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर

बरामदगी-

- 01 गले की चैन (पीली धातु)
- 01 देशी तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 स्पलेण्डर मोटरसाइकिल UP11BY 5089 (घटना में प्रयुक्त)

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 224/26, धारा- 9/25 आम्स एक्ट थाना कोतवाली नगर स0पुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव कुमार कौशिक थाना को0नगर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राकेश कुमार थाना को0नगर सहारनपुर
3. है0का0 1248 विकास कुमार थाना को0नगर सहारनपुर
4. रि0का0 1313 अर्जुन शर्मा थाना को0नगर सहारनपुर
5. रि0का0 1294 कुशल प्रताप थाना को0नगर सहारनपुर
6. रि0का0 1336 विदित राज थाना को0नगर सहारनपुर



दिनांक: 26.09.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” के अन्तर्गत माल मुकदमाती/सीजशुदा/जब्तीकरण के कुल 42 वाहनों की नियमानुसार नीलामी कराकर कुल 08 लाख 20 हजार 100 रुपये का राजस्व प्राप्त कर राजकोष जमा कराया जायेगा

- 42 वाहन माल मुकदमाती वाहनो की नीलामी
- मूल्यांकन की कुल धनराशि 8,20,100/- रुपये
- नीलामी राशि 695000/- रुपये मय 18% GST 125100/-
- बोली दाता नौशाद पुत्र कालू निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना नानौता जनपद सहारनपुर

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के कुशल नेतृत्व में एंव उप जिलाधिकारी सदर सहारनपुर श्री सुबोध कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्री रोहित कुमार, प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी व हे0का0 सुरेन्द्र कुमार हैड मोहररिं थाना कुतुबशेर की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना कुतुबशेर परिसर में लम्बे समय से खड़े माल मुकदमाती/सीजशुदा/जम्तीकरण के कुल 42 वाहनों (03- वाहन चार पहिया, 03- तीन पहिया व 36- दो पहिया वाहन) माल जिनकी आरटीओ कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 1,72,500/- रुपये निर्धारित करा कर कार्यक्रम अनुसार थाना कुतुबशेर के पुलिस चौकी मानकमऊ प्रांगण परिसर मे नीलामी करायी गयी। जिसमें कुल 45 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गयी। उच्च बोली दाता श्री नौशाद पुत्र कालू निवासी शेखजादगान थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा उच्चतम बोली 6,95000/- रुपये लगायी गयी। उच्च बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी।

नीलाम हुए माल मुकदमाती कुल 42 वाहनों का विवरण –

03 वाहन – चार पहिया

03 वाहन – तीन पहिया

36 वाहन - दो पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण –

- 1- श्री सुबोध कुमार उप जिला मजिस्ट्रेट सदर जनपद सहारनपुर
- 2- सुश्री सारिका चौधरी (IPS) क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम जनपद सहारनपुर
- 3- श्री रोहित सिंह संभागीय परिवहन निरीक्षक जनपद सहारनपुर
- 4- प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार त्यागी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
- 5- हैड मोहररिं 468 सुरेन्द्र कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर